राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद, उत्तर प्रदेश

सिटीजन चार्टर

--: मण्डी समितियों एवं मण्डी परिषद से संबंधित सेवायें :--

क्र0 सं0	सेवायें	सेवाओं से सम्बन्धित पदाविहित अधिकारी	अपीलीय अधिकारी	निस्तारण की समय सीमा	
				आवेदन प्राप्ति की तिथि से	आवेदन निस्तारण की समयावधि समाप्ति होने के उपरान्त अपील प्रस्तुत करने हेतु समय सीमा
1	2	3	4	5	6
1	लाईसेंस निर्गत हेतु	मण्डी समिति	निदेशक	30 दिवस	15 दिवस
2	लाईसेंस नवीनीकरण	मण्डी समिति	निदेशक	15 दिवस	15 दिवस
3	दुकानों का आवंटन	दुकान आवंटन समिति	निदेशक	60 दिवस	15 दिवस
4	सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना	मण्डी समिति	उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)	तहसील में जाँच होने की तिथि से 15 दिवस	15 दिवस
5	खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना	मण्डी समिति	उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)	तहसील में जाँच होने की तिथि से 15 दिवस	15 दिवस
6	छात्रवृत्ति योजना	उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)	निदेशक	चयन के 15 दिवस	15 दिवस
7	मण्डी आवक कृषक उपहार योजना	उपनिदेशक (प्रशा0/विप0)	निदेशक	त्रैमासिक ड्रा (90दिवस पूर्ण होने उपरान्त) छमाही ड्रा (180 दिवस पूर्ण होने उपरान्त)	30 दिवस 60 दिवस
8	निर्यात पर मण्डी शुल्क से छूट का निर्णय करने की अवधि	मण्डी समिति	निदेशक	अभिलेख जमा करने की अवधि पूर्ण होने पर 60 दिवस	30 दिवस
9	ब्राण्ड प्रमोशन तथा भाड़ा अनुदान	निदेशक	–	30 दिवस	–
10	सी0पी0एफ0 स्वीकृति हेतु निर्णय	वित्त नियंत्रक/ उपनिदेशक(प्र0/वि0)	निदेशक	90 दिवस	30 दिवस
11	ग्रेच्युटी स्वीकृति हेतु निर्णय	वित्त नियंत्रक	निदेशक	90 दिवस	30 दिवस
12	चिकित्सा अवकाश की स्वीकृति का निर्णय	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	15 दिवस	15 दिवस
13	चिकित्सा प्रतिपूर्ति का निर्णय	अपरनिदेशक (प्रशासन) की अध्यक्षता में निर्धारित समिति द्वारा	निदेशक	60 दिवस	30 दिवस
14	उपार्जित अवकाश स्वीकृति का निर्णय	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	15 दिवस	15 दिवस

1	2	3	4	5	6
15	वेतन निर्धारण का निर्णय	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	30 दिवस	15 दिवस
16	मृतक आश्रित नियुक्ति पर निर्णय	निदेशक		90 दिवस	
17	बीमा भुगतान विषयक	वरिष्ठ लेखाधिकारी (आहरण/वितरण अधिकारी)	निदेशक	180 दिवस	30 दिवस
18	सेवानिवृत्ति के उपरान्त अर्जित अवकाश के नकदीकरण की स्वीकृति पर निर्णय।	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	15 दिवस	15 दिवस
19	ए0सी0पी0 स्वीकृति हेतु निर्णय	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	देयता तिथि से 120 दिवस	30 दिवस
20	प्रोन्नति	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	अर्हता प्राप्त होने की तिथि से 120 दिवस	60 दिवस
21	प्रत्यावेदनों/शिकायती पत्रों का निस्तारण	सक्षम अधिकारी	एक स्तर वरिष्ठ अधिकारी	30 दिवस	निर्णय सूचित होने के दिनांक से 30 दिवस
22	आर0टी0आई0 के अन्तर्गत प्राप्त पत्रों का निस्तारण	सक्षम अधिकारी	व्यवस्थानुसार	संबंधित अधिनियम के प्राविधानानुसार	
23	चरित्र प्रविष्टि का दिया जाना	सक्षम अधिकारी	व्यवस्थानुसार	सुसंगत विधि, नियमों व शासनादेश अनुसार	
24	मण्डी में जलापूर्ति व्यवस्था	उपनिदेशक(निर्माण)	निदेशक	समिति के प्रस्ताव के दिनांक से 15 दिन के भीतर	समस्या के निस्तारण तक
25	मण्डी स्थल की आन्तरिक सड़कों की मरम्मत	उपनिदेशक(निर्माण)	निदेशक	समिति के प्रस्ताव के दिनांक से दो माह (60 दिवस) के भीतर	दो माह (60 दिवस)
26	मण्डी स्थल की दुकान, चबूतरा, आन्तरिक नालियों की मरम्मत	उपनिदेशक(निर्माण)	निदेशक	समिति के प्रस्ताव के दिनांक से दो माह (60 दिवस) के भीतर	दो माह (60 दिवस)
27	मण्डी में विद्युत आपूर्ति	उपनिदेशक(वि0/यां0)	निदेशक	मण्डी समिति प्रस्ताव के दिनांक से 15 दिवस के भीतर	समस्या के निस्तारण तक
28	मण्डी में स्थापित वे-ब्रिज की मरम्मत	उपनिदेशक(वि0/यां0)	निदेशक	मण्डी समिति प्रस्ताव के दिनांक से 15 दिवस के भीतर	समस्या के निस्तारण तक
29	मण्डी की चहारदीवारी की मरम्मत	उपनिदेशक(निर्माण)	निदेशक	मण्डी समिति प्रस्ताव के दिनांक से दो माह (60 दिवस) के भीतर	दो माह (60 दिवस)
30	शौचालय की मरम्मत	उपनिदेशक(निर्माण)	निदेशक	मण्डी समिति प्रस्ताव के दिनांक से दो माह (60 दिवस) के भीतर	दो माह (60 दिवस)
31	मण्डी परिषद की परियोजनाओं को स्वीकृत किया जाना।	निदेशक	निदेशक	एक सप्ताह (07 दिवस)	30 दिवस

1	2	3	4	5	6
32	रू0 1.00 करोड़ से ऊपर की सभी परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति दिया जाना	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	एक सप्ताह (07 दिवस)	15 दिवस
33	रू0 40.01 लाख से रू0 1.00 करोड़ तक की सभी परियोजनाओं की तकनीकी स्वीकृति दिया जाना	संयुक्त निदेशक (निर्माण)	मुख्य अभियन्ता	एक सप्ताह (07 दिवस)	15 दिवस
34	निविदा की स्वीकृति दिया जाना	अपर निदेशक(प्रशा0) की अध्यक्षता में गठित उच्च निविदा समिति	निदेशक	एक सप्ताह (07 दिवस)	तीन माह (90 दिवस)
35	अनुबन्ध गठन	उपनिदेशक(निर्माण)	मुख्य अभियन्ता	एक सप्ताह (07 दिवस)	15 दिवस
36	**विचलन की स्वीकृति** मूल आगणन में अंकित मदों पर 05 प्रतिशत की सीमा तक या रू0 5.00 लाख(रू0 पांच लाख तक) जो भी कम हो	उपनिदेशक(निर्माण)/ वि0या0)	मुख्य अभियन्ता	एक सप्ताह (07 दिवस)	एक माह (30 दिवस)
	मूल आगणन में अंकित मदों पर 7.5 प्रतिशत की सीमा तक या रू0 7.50 लाख(रू0 सात लाख पचास हजार तक) जो भी कम हो	संयुक्त निदेशक (निर्माण)	मुख्य अभियन्ता	एक सप्ताह (07 दिवस)	एक माह (30 दिवस)
	मूल आगणन में अंकित मदों पर 10 प्रतिशत की सीमा तक या रू0 10.00 लाख(रू0 दस लाख तक) जो भी कम हो।	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	15 दिवस	एक माह (30 दिवस)
	निर्माण एवं वि0या0 कार्यों में होने वाले विचलन में 10 प्रतिशत से अधिक के प्रकरणों पर	निदेशक (पूर्ण अधिकार)	निदेशक	15 दिवस	एक माह (30 दिवस)
37	समय वृद्धि की स्वीकृति	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	15 दिवस	15 दिवस
38	ठेकेदारों का पंजीकरण	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	15 दिवस	15 दिवस
39	अनुबन्ध निरस्त करना	उपनिदेशक (निर्माण)	निदेशक	30 दिवस	30 दिवस
40	पंजीकरण को काली सूची में अंकित करना।	मुख्य अभियन्ता	निदेशक	30 दिवस	30 दिवस
बिन्दु संख्या 36 में शर्त यह रहेगी कि व्ययाधिक्य के समायोजन के लिए प्रशासनिक स्वीकृति में बचत उपलब्ध हो।					

1 व 2– <u>लाईसेन्स निर्गत/नवीनीकरण</u>

67(1) लाइसेन्स शुल्क–अधिनियम के अधीन एक कृषि वर्ष की अवधि के लिये लाइसेन्स जारी तथा नवीकृत करने के लिये शुल्क वहीं होगा जैसा कि नीचे विहित किया गया है :

प्रतिबन्ध यह है कि प्रार्थी के अनुरोध पर लाइसेन्स पाँच वर्ष की अवधि के लिये अथवा आजीवन प्रार्थी हेतु जारी तथा नवीनीकृत किया जा सकता है।

लाईसेन्स का वर्ग	लाइसेन्स का विवरण	लाइसेन्स शुल्क
1	(1) थोक व्यापारी, एवं आढ़तिया या (2) थोक व्यापारी, या (3) आढ़तिया, या (4) मिल, या (5) कारखाना, या (6) कोल्ड स्टोरेज, या (7) दलाल।	250/–
2	(1) गोदाम परिचालक या (2) ट्रांसपोर्ट एजेन्सी।	200/–
3	(1) आटा चक्की (शक्ति चालित), या (2) तेल की धानी (शक्ति चालित), या (3) अपतृषक (शक्ति चालित), या (4) वितृषक, या (5) निष्कारक या (6) ओटनी, या (7) डिकोरटीकेटर (शक्ति चालित), या (8) बेल, केन्द्रीयित (शक्ति चालित), (9) चक्की (शक्ति चालित), या (10) आरा मशीन।	150/–
4	फुटकर व्यापारी	100/–
5	(1) तोलक, या (2) मापक, या (3) पल्लेदार	25/–
6	थोक व्यापारी–सह–आढ़तिया, या थोक व्यापारी या आढ़तिया के लिये एकीकृत लाइसेन्स	10,000/–

3–दुकानों का आवन्टन

मण्डी स्थलों में निर्मित/रिक्त दुकानों के आवन्टन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में दुकान आवन्टन समिति गठित है।

4–सामूहिक जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना

मण्डी परिषद द्वारा संचालित यह योजना 30.06.2020 तक प्रभावी हैं। शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के परगनाधिकारी/उपजिलाधिकारी को दावा स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस योजना में दावा/आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा 30 दिन निर्धारित की गयी है।

योजना के अन्तर्गत मण्डी क्षेत्र के किसानों, खेतिहर मजदूरों तथा मण्डी समिति/परिषद के मजदूरों जो कृषि कार्य अथवा कृषि उपकरणों के संचालन में संलग्न है अथवा कृषि संबंधी बिजली उपकरणों अथवा कुँओं की खुदाई अथवा गहराई बढ़ाने हेतु कार्यरत हैं अथवा ट्रैक्टर का उपयोग कृषि उत्पादन की ढुलाई/थ्रेसिंग करते समय तथा अन्य कृषि कार्य करते समय दुर्घटनाग्रस्त होने पर क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।

मा0 संचालक मण्डल की 146वीं बैठक दिनॉक 22.06.2013 में उक्त योजना के लिये सहायता के रुप में देय धनराशि को दो गुना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राप्त अनुमोदन के कम में शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार वर्तमान में निम्नानुसार कृषकों को सहायता धनराशि प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है:–

क्र0	क्षति की श्रेणी	प्रदान की जाने वाली धनराशि
1.	छोटी अंगुली की क्षति होने पर	रू0 3,000/–
2.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के एक हाथ की दो उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 12,000/–

3.	अंगूठे की क्षति होने पर	रू0 18,000/–
4.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के एक हाथ की तीन उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 20,000/–
5.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के एक हाथ की चार उंगलियों की क्षति होने पर	रू0 28,000/–
6.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के एक हाथ, एक पैर अथवा एक ऑख की क्षति होने पर	रू0 30,000/–
7.	दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के दोनों पैर, दोनों हाथ या दोनों ऑख या उपरोक्त में से कोई दो की क्षति होने पर	रू0 60,000/–
8.	दुर्घटना द्वारा दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की मृत्यु होने पर	रू0 2,00,000/–

5–खलिहान अग्निकाण्ड दुघर्टना सहायता योजना

मण्डी परिषद द्वारा संचालित यह योजना 30.06.2020 तक प्रभावी हैं। शासन द्वारा इस योजना के अन्तर्गत सम्बन्धित मण्डी समिति क्षेत्र के परगनाधिकारी/उपजिलाधिकारी को दावा स्वीकृत करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस योजना में दावा/आवेदन पत्र के प्रस्तुतीकरण की समय सीमा 15 दिन निर्धारित की गयी है।

खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत प्रदेश के मण्डी क्षेत्रों में स्थित खलिहानों में मड़ाई हेतु रखी फसल/उपज/अवशेष अंश के अग्नि दुर्घटना से हुई क्षतिपूर्ति हेतु जोत सीमा के आधार पर पीड़ित कृषक को आर्थिक सहायता वित्तीय रुप में प्रदान की जाती है।

मा0 संचालक मण्डल की 146वीं बैठक दिनॉक 22.06.2013 में उक्त योजना के लिये सहायता के रुप में देय धनराशि को दो गुना करने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था, जिस पर प्राप्त अनुमोदन के क्रम में शासन से प्राप्त स्वीकृति अनुसार वर्तमान में निम्नानुसार कृषकों को सहायता धनराशि प्रदान की जाती है, जो इस प्रकार है:–

क्र0 सं0	जोत सीमा	प्रदान की जानी वाली धनराशि
(अ)	सीमान्त कृषक एक हेक्टेयर अर्थात 2.5 एकड़ भूमि रखने वाले को	अधिकतम् रू0 15,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(ब)	लघु कृषक एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक भूमि रखने वाले को।	अधिकतम् रू0 20,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।
(स)	सामान्य कृषक 2 हेक्टेयर या 5 एकड़ से अधिक भूमि रखने वाले को।	अधिकतम् रू0 30,000/– अथवा वास्तविक ऑकलित क्षति जो भी कम हो।

उपरोक्त के अतिरिक्त खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना के अन्तर्गत किसानों की खड़ी फसल को भी अग्निकाण्ड दुर्घटना में शामिल करने तथा जहॉ किसी एक अग्निकाण्ड दुर्घटना में सहायता की धनराशि रू0 1.00 लाख (रूपया एक लाख) से अधिक आंकलित हो रही हो तो, उन दावों के निपटारे हेतु जनपद के जिलाधिकारी को अधिकृत किया गया है।

6–छात्रवृत्ति योजना

किसानों के ऐसे प्रतिभावान बच्चे जो कृषि की उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और रोजगार परक शिक्षा सहित जो भविष्य में कृषि क्षेत्र को अपने विशेष ज्ञान का लाभ देंगे। ऐसे मेधावी छात्रों के लिए छात्र वृत्ति की योजना मण्डी परिषद द्वारा संचालित की जा रही है, जिसमें 05 कृषि विश्वविद्यालयों, तथा 24 कृषि महाविद्यालयों के कृषि शिक्षा को भी प्रोत्साहित करने के उददेश्य से मण्डी परिषद द्वारा छात्रवृत्ति उपलब्ध

करायी जा रही है। मा0 संचालक मण्डल की 134वीं बैठक दिनॉकः 11.01.2010 में लिये गये निर्णयानुसार कृषि विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्र एवं छात्राओं (होम साइंस में अध्ययनरत) हेतु 3000/–प्रतिमाह छात्रवृत्ति प्रदान किये जाने का प्राविधान है।

उक्त के साथ ही मा0 संचालक मण्डल की 143वीं बैठक 24.09.2012 में पारित संकल्प के क्रम में प्रदेश के तीन कृषि विश्वविद्यालयों एवं दो कृषि संस्थाओं में अध्ययनरत, कृषि क्षेत्र में शोध करने वाले शोधार्थियों, प्रत्येक में 25–25 शोधार्थियों को रू0 6000/–(रूपया छः हजार मात्र) प्रतिमाह छात्रवृत्ति दिये जाने की व्यवस्था परिषद पत्र संख्याः 1898 दिनांक 19.10.2012 द्वारा लागू की गई है।

वर्तमान में किसानों के प्रतिभावान बच्चों को कृषि की उच्च शिक्षा हासिल कराने हेतु प्रोत्साहन के रुप में मण्डी परिषद द्वारा 24 कृषि महाविद्यालयों तथा 03 कृषि संस्थानों में स्नातक के छात्रों/छात्राओं को रु0 3000/– तथा शोधकर्ता छात्रों को रु0 6000/– प्रतिमाह छात्रवृत्ति दी जा रही है।

7–मण्डी आवक किसान उपहार योजना

मण्डी आवक–किसान उपहार योजना शासनादेश संख्या–15/12–5–2001–600 (1)/2001 दिनांक 31–01–2001 द्वारा पूरे प्रदेश में लागू है। योजना का उद्देश्य कृषि विपणन कार्य में कृषक उत्पादकों की सहभागिता बढ़ाने, नवीन मण्डी स्थलों में उपज लाकर बेचने हेतु उन्हें अभिप्रेरित करना तथा उनकी रूचि प्रवेश पर्ची एवं प्रपत्र संख्या–6आर (विक्रेता बाउचर) प्राप्त करने की ओर बढ़ाना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक किसान को रू0 5,000.00 तक के मूल्य के 6आर पर्चे पर एक इनामी कूपन प्राप्त कराये जाने की व्यवस्था है। इन कूपनों पर तिमाही व छमाही ड्रा निकाला जाता है। सम्प्रति मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 139वीं बैठक दिनांक 20.07.2011 में पारित संकल्प व तद्नुक्रम में शासनादेश संख्याः–1472/80–1–2012–600 (1)/2001 दिनांक 30.10.2012 से प्राप्त अनापत्ति के अनुक्रम में परिषद परिपत्र सं0–1986 दिनांक 5.12.2012 द्वारा उक्त योजना में ड्रा के अन्तर्गत उपहार की नवीन व्यवस्था निम्नानुसार प्रतिस्थापित की गई हैः–

ड्रा का प्रकार	उपहार की श्रेणी	उपहार की वस्तु	प्रत्येक सम्भाग में उपहारों की संख्या
त्रैमासिक ड्रा	प्रथम	पम्पिंग सेट	एक
	द्वितीय	स्प्रेयर (पावरयुक्त)	दो
	तृतीय	हस्तचालित पंखा (सफाई हेतु)	तीन
छमाही बम्पर ड्रा	प्रथम	ट्रैक्टर 35 हार्स पावर (मैसी फारगुसन)	एक
	द्वितीय	पावर टिलर (सीटयुक्त 903 सी0सी0) (11के0वी0) (13.7 एच पी)	दो
	तृतीय	पावर ड्राइवेन हार्वेस्टर/रीपर (4.00 हार्सपावर डीजल इंजन सहित)	तीन

यह योजना सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में लागू है। इस योजना के अन्तर्गत मण्डी परिषद के 16 प्रशासकीय सम्भागों द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में प्रत्येक सम्भाग में प्रति त्रैमास छः किसानों को तथा वर्ष में दो बार (प्रत्येक छः माही बम्पर ड्रा के आधार पर) छः किसानों को उपहार प्रदान करते हुए प्रति वर्ष 576 किसानों को लाभान्वित किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त मा0 संचालक मण्डल की 149वीं बैठक दिनांक 30.03.2015 में पारित निर्णयानुसार कृषक उपहार योजनान्तर्गत छःमाही बम्पर ड्रा में चतुर्थ उपहार के रुप में कृषकों को प्रत्येक सम्भाग में 10–10 "सोलर पावर पैक" दिये जाने की व्यवस्था सम्मिलित की गयी है।

8– निर्यात पर मण्डी शुल्क से छूट का निर्णय करने की अवधि

चावल निर्यात

शासनादेश संख्या–1169/अस्सी–2–2012–02(12)/2000 दिनांक–07 नवम्बर, 2012 द्वारा निर्गत चावल निर्यात नीति दिनांक 07.11.2017 (2012–17) तक लागू है। शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक फर्मों द्वारा अस्थायी/स्थायी पंजीकरण कराने के पश्चात् उन्हें मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्रदान की जा रही है।

तिल निर्यात

प्रदेश से प्रसंस्कृत तिल के निर्यात को प्रोत्साहन प्रदान करने के उद्देश्य से शासनादेश संख्या–958/अस्सी–2–2012–200(7)/2011 दिनांक 27 सितम्बर, 2012 द्वारा निर्गत तिल निर्यात नीति दिनांक 27.09.2017 (2012–17) तक लागू है, जिसमें शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार निर्यातक फर्मों द्वारा अस्थायी/स्थायी पंजीकरण कराने के पश्चात् उन्हें मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्रदान की जा रही है।

मेंथा निर्यात

अधिसूचना संख्या–170/80–2013–600(46)–88 दिनांक 28 जनवरी, 2013 द्वारा मण्डी क्षेत्र में मेंथा प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ के निकालने के पश्चात् बचा अवशेष के विनिर्दिष्ट कृषि उत्पाद के बिक्री के संव्यवहार पर देय मण्डी शुल्क की दर मण्डी क्षेत्र में ऐसे विक्रय किये गये कृषि उत्पाद के मूल्य की 1% एवं 0.5% विकास सेस कतिपय शर्तों के साथ निर्धारित की गयी है।

शासनादेश संख्याः 864/80–1–2014–600(3)/2013 दिनांक 26.05.2014 के क्रम में निर्यात से संबंधित धारा–17–क की उपधारा (1)(ख) के अन्तर्गत कच्चे माल के क्रय तथा उससे प्रसंस्कृत उत्पादों (मेंथा प्रजाति की समस्त प्रकार की हर्ब और मिन्ट, उनके तेल और तेलों से निकाले गये ठोस पदार्थ तथा ठोस पदार्थ के निकालने के पश्चात् बचे अवशेष) के निर्यात पर मण्डी शुल्क एवं विकास सेस पर निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासन द्वारा फर्मवार शासनादेश निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में सम्बन्धित फर्मों को मण्डी शुल्क व विकास सेस से छूट प्रदान की जा रही है।

9– ब्राण्ड प्रमोशन तथा भाड़ा अनुदान

"नवाब ब्राण्ड" आम निर्यात हेतु भाड़ा सहायता एवं ब्राण्ड प्रमोशन सहायता नियमावली, 2005 के अन्तर्गत उ0प्र0 में उत्पादित आम को **"नवाब ब्राण्ड"** आम के अधीन गैर रूपया निर्यात की दशा में निम्नवत् अनुदान दिये जाने का प्रावधान है:–

(अ) भाड़ा अनुदान

(1) हवाई या समुद्री मार्ग:

(प) 25 टन तक रू0–13.00 प्रति किलोग्राम।
(पप) 25 टन से अधिक परन्तु 50 टन से कम रू0–14.00 प्रति किलोग्राम।
(पपप) 50 टन से अधिक परन्तु 100 टन से कम रू0–15.00 प्रति किलोग्राम।
(पअ) 100 टन से अधिक रू0–16.00 प्रति किलोग्राम।

(2) सड़क परिवहन:

(प) 25 टन तक रू0–6.50 प्रति किलोग्राम।
(पप) 25 टन से अधिक परन्तु 50 टन से कम रू0–7.00 प्रति किलोग्राम।
(पपप) 50 टन से अधिक परन्तु 100 टन से कम रू0–7.50 प्रति किलोग्राम।
(पअ) 100 टन से अधिक रू0–8.00 प्रति किलोग्राम।

(ब) ब्राण्ड प्रमोशन

आम निर्यात हेतु नबाब ब्राण्ड को प्रोत्साहन दिये जाने हेतु निम्नवत् अनुदान दिये जाने का प्राविधान है:–

(प) 25 टन तक रू0–13.00 प्रति किलोग्राम।
(पप) 25 टन से अधिक परन्तु 50 टन से कम रू0–14.00 प्रति किलोग्राम।
(पपप) 50 टन से अधिक परन्तु 100 टन से कम रू0–15.00 प्रति किलोग्राम।
(पअ) 100 टन से अधिक रू0–16.00 प्रति किलोग्राम।

आलू निर्यात

प्रदेश के आलू उत्पादक किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाये जाने तथा आलू निर्यात को प्रोत्साहित किये जाने हेतु मण्डी परिषद के तत्वावधान में "उ0प्र0 पोटैटो एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन सोसायटी" का गठन किया गया। उक्त सोसायटी का मुख्य उद्देश्य आलू उत्पादकों को आलू निर्यात हेतु प्रोत्साहित करना है। तत्क्रम में गठित सोसायटी के अन्तर्गत पंजीकृत आलू उत्पादकों/निर्यातकों को उत्तर प्रदेश में उत्पादित होने वाले आलू को **"ताज ब्राण्ड"** के उपयोग पर हवाई/समुद्री भाड़ा/थल मार्ग से निर्यात किये जाने की दशा में मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 129वीं बैठक दिनांक 04.09.2008 में दिये गये अनुमोदन के क्रम में ब्राण्ड प्रमोशन रू0–00.50 प्रति किलोग्राम एवं मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 141वीं बैठक दिनांक 24.04.2012 में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में परिवहन भाड़ा सहायता रू0–2.00 प्रति किलोग्राम मण्डी परिषद द्वारा निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन दिया जा रहा है।

लहसुन निर्यात

मण्डी परिषद के मा0 संचालक मण्डल की 150वीं बैठक दिनांक 03.6.2016 में पारित प्रस्ताव के क्रम में लहसुन के निर्यातकों को विदेशों में लहसुन निर्यात करने पर रू0–1.00 प्रति किलोग्राम की दर से परिवहन भाड़ा सहायता दिये जाने की व्यवस्था है। यह योजना वर्ष 2020 तक लागू है।